परिशिष्ट `घ`

इलाहाबाद सिटी

गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य:

साधारण एवं सहायक नियमावली तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों में निहित कार्यो के अतिरिक्त दिन प्रति दिन के परिचालन कार्यो से सम्बन्धित स्टेशन कर्माचारियों का निम्नलिखित सामान्य कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होगा:-

(1) स्टेशन मास्टर / स्टेशन अधीक्षक

(क) स्टेशन मास्टर स्टेशन का सब कार्य भारी पयर्वेक्षक होता है और सामान्यतया सही, कुशल तथा सुरक्षित कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी होता है । ऊँचे दर्जे का कार्य दक्षता प्राप्त करने और इसे बनाये रखने के लिये उसका यह कर्तव्य है कि उसके अधीन सभी श्रेणियों के कर्माचारी उसकी उपस्थिति को अनुभव करें इसके साथ साथ उसके कर्तव्य में यह भी सम्मिलित है :-

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पयर्वेक्षण ।
2. यह सुनिश्चित करने के लिये आवधिक जाँच की सभी श्रेणियों के कर्माचारी अपने रोस्टर के अनुसार कार्य कर रहें है और कार्य की सही व सुरक्षित विधि उनके द्वारा अपनायी जाती है ।
3. कर्माचारियों की आवधिक परीक्षा व जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे अपने सम्बन्धित कर्तव्य से संगत नियमों से परिचित हैा ।
4. दुर्धटना बचाने और कार्य को सुरक्षित और सही विधि लागू करने के लिये कर्माचारियों को प्रशिक्षण देना ।
5. रात व दिन में सिगनलों का सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय एवं पैनल कैबिन का, और ट्रेन संचलन के लिये रखी या प्रयुक्त नियम पुस्तिकाओं , डायरियों, ट्रेन रजिस्टरों, प्रपत्रों आदि का निरीक्षण ।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण ।
7. पार्सल कार्यालय और बुकिंग कार्यालय को आवधिक निरीक्षण ।
8. आश्वासन पंजिका एवं स्टेशन संचालन नियमावलियों का रख-रखाव ।
9. सभी अनियमितताओं और नियमभंगो को सुलझाना और रिर्पोट करना ।
10. यार्ड के सामान्य संचालन या अधिक सुरक्षित संचालनस में प्रगति के लिये आवश्यक किन्हीं परिवर्तन के बारे में प्रस्तावों के साथ-साथ रास्तों और उपायों का सुझाव देना ।

क्रमश: पृष्ट सं0 2 पर

(वी. के. सिंह)
मसिदूइं / वाराणसी
वाराणसी

(एन. एन. दास)
वमपचाप्र / सा0 /

(2) सहायक स्टेशन मास्टर (प्लेटफार्म)

स्टेशन मास्टर स्टेशन प्लेटफार्म / आउटडोर सभी दिशाओं की गाडियों के आगमन तथा प्रस्थान से जुड़े हुए समस्त क्रियाओं का सीधा उत्तरदायी है इसके अधिनस्थ समस्त गाड़ी परिचालन कर्मचारी उसी के निर्देशों पर कार्य करेगें । उसके कर्तव्य निम्नलिखित है :

1. साधारण तथा सहायक नियमों स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार गाड़ी का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना और लाइन आबंटन करना ।
2. शंटिंग की क्रियाओं में संलग्न कर्मचारियों की सामान्य निर्देशन तथा सम्पूर्ण अनुदेशों को देना
3. यात्री तथा माल गाड़ियों की शंटिंग का पर्यवेक्षण करना ।
4. गाड़ियों के चालक तथा गाड़ी केा काशन आर्डर टी -409 दिया जाना सुनिश्चित करना ।
5. गति सम्बन्धी समस्त लागू होने तथा निरस्त होने वाली प्राप्त सूचनाओं को तत्सम्बन्धी रजिस्टर में अंकित करना तथा उनका सही सही अनुपालन तथा चालक और गार्ड को दिया जाना सुनिश्चित करना ।
6. गाड़ी नियंत्रण को टेलीफोन द्वारा गाड़ियों का "आगमन" तथा प्रस्थान समय तथा किसी प्रकार के अन्य विलम्बन का विवरण देना तथा कन्ट्रोल से सम्पर्क बनाये रखना ।
7. सभी स्टेशन से होकर (थ्रू गुजरने वाली गाड़ियों के चालक तथा गार्ड के साथ स्टेशन की दूसरी ओर से कांटे वाले का "आल राइट" झंडी संकेत दिखाना सुनिश्चित करना ।)
8. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को समस्त क्रिया कलापों पर सर्तकता पूर्वक निगरानी करना ।

(3) सहायक स्टेशन मास्टर (पैनल)

स्टेशन मास्टर (पैनल)को गाड़ी संचालन सम्बन्धी समस्त कार्यो में स्टेशन मास्टर (प्लेटफार्म) के अनुदेशो तथा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना है । वह गाडियों के आगमन तथा प्रस्थान की क्रियाओं का पूर्णरुपेण उत्तरदायी है । जितने भी उसके अधिनस्थ कर्मचारी है वह उसके आदेशों का पालन करेगा । सहायक स्टेशन मास्टर (पैनल)के कर्तव्य निम्नलिखित है:-

1. सहायक स्टेशन मास्टर (पैलन)का कर्तव्य है कि यार्ड में स्थित कांटों, सिगनलों, कांटा इंडिकेटर्स, अन्य संरक्षा उपकरणों, प्राइवेट नम्बर की पुस्तिका तथा असामान्य परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाली पुस्तिकाओं को जांच कर ले तथा यह सुनिश्चित कर ले कि जब वह अपने रिलीफ से कार्यभार ग्रहण कर रहा हो डायरी में वर्णित मुद्दें सही अवस्था में है अथवा नही है
2. यह सुनिश्चित करना कि उसके सीमा के अर्न्तगत आने तथा जाने वाले गाडियों के मार्ग में कोई बाधा नहीं है तथा सम्बन्धित लाइन बिल्कुल साफ है ।

क्रमश: पृष्ट सं0 3 पर

(वी. के. सिंह)
मसिदूइं / वाराणसी
वाराणसी

(एन. एन. दास)
वमपचाप्र / सा0 /

3. यह सुनिश्चित करना गाडियों के आवागमन हेतु तथा शंटिंग के समय अपेक्षित रास्ता सेट है तथा बना हुआ है ।

4. गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान हेतु सम्बन्धित सिगनल "आफ" कर दिये गये हों ।

5. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी शंटिंग के समय शंटिंग से प्रभावित होने वाला फाटक यात्री यातायात के विरुद्ध बन्द कर दिया गया है ।

6. यह सुनिश्चित करना गाडियों के आवागमन में सिगनल तथा अर्न्तपाशन की विफलता के लिए सिगनल विफलता आदेश टी-369 (3बी) जारी किये जा रहे हैं ।

7. किसी भी गाड़ी के आवागमन अथवा शंटिंग क्रिया हेतु मार्ग पर पड़ने वाले सम्मुख कांटे को सेट करके ताला लगाया गया है तथा अनुमुख कांटे सेट कर दिये गये हैं । यह सर्तकता सिगनल विफलता आदेश टी-369 (3बी) देने के पूर्व सुनिश्चित की जानी चाहिये ।

8. ब्लाक यंत्र की चाभियां उसके व्यक्तिगत संरक्षण में है तथा ब्लाक यंत्र को वह व्यक्तिगत रुप से संचालित करता है ।

9. सहायक स्टेशन मास्टर / प्लेटफार्म की अनुमति से ही लाइन क्लीयर लेना तथा देना तथा जाने वाली गाड़ियों को "अग्रिम प्रस्थान" आदेश देना ।

10. दारागंज की ओर प्रस्थान करने वाली गाडियों के चालकों को टोकन देना तथा उस दिशा से आने वाली गाडियों का टोकन चालकों से लेना तथा ब्लाक यंत्र के हैण्डिल को सामान्य स्थिति में लौटाना ।

11. ब्लाक यंत्रों कांटो सिगनल तथा अन्य उपस्करों के विफलता की स्थिति की सूचना तथा उसके मरम्मत की सूचना नियमानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को देना ।

12. परिचालन से सम्बद्ध कर्माचारियों की परिचालन सम्बंधी क्रियाओं का देख-रेख करना तथा सामान्य निर्देशन देना ।

13. गुप्तांक पुस्तिका को व्यक्तिगत संरक्षण में रखना ।

14. स्टेशन कार्य प्रणाली में वर्णित नियमानुसार सहायक स्टेशन मास्टर की डायरी, ट्रेन सिगनल रजिस्टर तथा एस.ई. 32 रजिस्टर का रख रखाव करना ।

15. आने तथा जाने वाली गाड़ियों के चालक तथा गार्डो को प्रोसीड सिगनल का दिया जाना सुनिश्चित करना ।

क्रमश: पृष्ट सं0 4 पर

(वी. के. सिंह)
मसिदूइं / वाराणसी
वाराणसी

(एन. एन. दास)
वमपचाप्र / सा0 /

(4) कांटावाला

कार्यरत कांटावाला गाडियों के आगमन,प्रस्थान तथा शंटिंग के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेश के पालन हेतु उत्तरदायी है । उसे स्टेशन से सुरक्षित एवं तत्परता से कार्य संचालन हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर के सभी आदेशों का पालन करना है। इसके अतिरिक्त कांटावाला के कर्तव्यों के निम्नलिखित कार्य भी सम्मिलित हैं :-

(क) गाडियों के आगमन के सम्बन्ध में :-

1. यार्ड में पड़ने वाले सभी गैर मोटर चालित सम्मुख कांटो को उचित ढंग से सेट करके ताला लगाना ।
2. मार्ग में पड़ने वाले सभी गैर मोटर चालित सम्मुख / कांटो को सेट करना ।
3. लाइन जिस पर गाड़ी आनी है केा सभी प्रकार के अवरोधों से पूर्णत: आफ है एवं मुक्त सुनिश्चित करना ।
4. आवश्यकता पड़ने पर लाइन लेबुल को लाइन बैज से आदान प्रदान करना ।
5. यदि आवश्यक हो गाड़ियों के आगमन हेतु सिगनलो की आफ करने के पूर्व सबसे बाहरी कांटे के निकट "आल राईट" सिगनल कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ आदान प्रदान करना ।
6. आवश्यकतानुसार दिन के समय टेल बोर्ड और रात्रि के समय टेल लैम्प / लाइट केा देख कर गाड़ी के पूर्ण आगमन को सुनिश्चित करना ।

(ख) गाडियों के प्रस्थान के सम्बन्ध में :-

1. आवश्यक पड़ने पर यदि मार्ग में कोई सम्मुख कांटा पड़ता हो तो उसको उचित ढंग से सेट करके ताला लगाना ।
2. मार्ग में पड़ने वाली सम्मुख कांटो को उचित ढंग से सेट करना ।
3. लाइन जिससे गाड़ी प्रस्थान करना है सभी प्रकार के अवरोधों से आफ एवं मुक्त है सुनिश्चित करना है ।
4. जब आवश्यकता हो तब से बाहरी अनुमुख कांटे से कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ "आल राईट" संकेतक का आदान प्रदान करना ।
5. अनुमुख कांटों को रक्षित करना ।
6. दिन में टेल बोर्ड तथा रात के टेल लैम्प / लाइट देख कर गाड़ी का सम्पूर्ण जाना सुनिश्चित करेगा ।

क्रमश: पृष्ट सं0 5 पर

(वी. के. सिंह)
मसिदूइं / वाराणसी
वाराणसी

(एन. एन. दास)
वमपचाप्र / सा0 /

7. कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार सभी गाड़ी के यार्ड के पर्यवेक्षण में स्टेशन पर गाड़ी की शंटिंग करना ।

8. आवश्यकता पड़ने पर गाडी को पाइलट कराना ।

9. आवश्यकता पड़ने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशानुसार पटाखा (फाग सिगनल) लगाना।

10. अपने संचालन हेतु आवंटित कांटों का सामान्य अनुरक्षण तथा वर्षा धूल इत्यादि से साफ सुथरा रखना ।

11. स्टेशन के किसी भी लाइन परा रखें गये वाहनों को संरक्षा चेनों तथा तालों से सुरक्षित करना ।

(5) <u>फाटक वाला के कर्तव्य</u> :

फाटकवाला अपने प्रभार में समपार फाटकों के लिये उत्तरदायी है । प्रशासन द्वारा दिये गये संरक्षित अभिरक्षक "ए" अनुमति प्रयोग के लिये वह उत्तरदायी होगा । उसे रेल तथा सड़क यातायात के लिये सदैव सतर्क तथा सचेत रहना चाहिये और फाटकों का परिचालन रेल और सड़क दोनो यातायात की संरखा सुनिश्चित करते हुए निर्धारित विधि से करना चाहिये । जहां पर समपार फाटक सडक़ यातायात के लिये खुले रखे जाते हैं, वहां यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सड़क यातायात को विलम्ब न होने पाये और फाटक केवल गाडियों को पास करने या शंटिंग के लिये बन्द किये जायें उसकी डियूटी के साथ ही साथ ये बातें भी शामिल हैं:-

(क) गाडियों को पास करने के लिए समपार फाटकों को बन्द करना औरताला लगाना और उसके बाद कांटावाला/लाइन जमादार तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर से सिगनल का आदान-प्रदान करना ।

(ख) सचेत होकर फाटक के आवास की ओर दिन में क्रमश: दायें और बायें हाथों में बिना खुली हुई लाल और हरी झंडी लेकर और रात में गाड़ी की ओर संकेत करती हुई सफेद प्रकाश बत्ती हाथ सिगनल बत्ती लेकर खड़े होना ताकि संकट की हालत में शीध्रता से आवश्यक हाथ बत्ती दिखा सके ।

(ग) यदि खतरे की आशंका हो तो तत्काल कार्यावाही के लिये सर्तक और तैयार रहना, फाटक की चाभी उसके साथ में अवश्य होगी ।

(घ) यह देखना कि फाटक के लिये दिये गये उपस्कर ठीक काम करने की हालत में है ओर तत्काल उपयोग के लिये उपलब्ध है ।

(ड.) इस बात को सुनिश्चित करना कि फाटक की बत्तीयां जलायी जाती है और वे सूर्यस्त से सूर्योदय तक लगातार जलती रहती है ।

क्रमश: पृष्ट सं0 6 पर

(वी. के. सिंह)
मसिदूइं / वाराणसी
वाराणसी

(एन. एन. दास)
वमपचाप्र / सा0 /

(च) किसी आपत्ति के समय यदि उसे फाटक छोड़ना ही है तो फाटक को सार्वजनिक सड़क के विरुद्ध बन्द करना तथा ताला लगाना ।

(छ) यह सुनिश्चित करना कि पहिये के कोरों के लिये मार्ग हर समय रहें ।

(ज) धुल को दबाये रखने के लिये शुष्क महीनों में समपार फाटकों परा अच्छी तरह पानी डालना ।

(झ) यथासंभव शीध्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाटक या इसकी सम्बन्धित उपकरण में किसी त्रुटि की सूचना देना ।

(ट) चिल्लाकर या शारिरिक चेष्टाओं के चालक या गार्ड का ध्यान आकर्शित करना यदि यह देखता है कि गाड़ी पार्ट हो गयी है (खतरे का सिगनल इसे बिलकुल न दिखानी चाहिये)

(ठ) अपनी ड्यूटी के नियमित घंटों में फाटक पर उपस्थित रहना, वह फाटक उस समय तक कदापि नहीं छोड़ेगा जब तक उसे उचित ढंग से कार्यमुक्त न किया जाय ।

(वी. के. सिंह)
मसिदूइं / वाराणसी
वाराणसी

(एन. एन. दास)
वमपचाप्र / सा0 /